मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय

वल्लभ भवन,भोपाल-462004

कमांक-*556* /583/2021/20-3 प्रति.

भोपाल, दि० /9/2021

4/10/2/

सचिव सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली।

विषयः- अशासकीय संस्था को सी**०बी०एस०ई**० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देने वावत्।

राज्य शासन एतद् व्दारा अशासकीय संस्था-सेंट फार्न्सेस को-एड स्कूल बरई, जिला-भोपाल, म०प्र० को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापित प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के आधार पर प्रदान किया जाता है:-

- (1) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता मिलने के उपरांत भी मध्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की मान्यता नियम, 2017 में दिये गये प्रावधानों का पालन किया जावेगा।
- (2) विद्यालय प्रबंधन व्दारा विद्यालय की प्रबंधन समिति में संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण तथा उनके व्दारा नामांकित एक प्रतिनिधि को सदस्य के रूप में नामांकित करना होगा तथा प्रबंधन समिति की बैठकों में शासकीय सदस्य की उपस्थित अनिवार्य होगी।
- (3) संस्था व्दारा प्रवेश संबंधी नियम प्रक्रिया तथा निर्धारित शुल्क यथा-समय प्रकाशित किये जायेंगे। शिक्षण शुल्क लेने में पालकों का शोषण नहीं किया जायेगा।
- (4) संस्था विभिन्न अवसरों पर छात्रों के आयोजित होने वाले सांस्कृतिक एवं खेलफूद कार्यकम तथा अन्य छात्र-शिक्षकों की गतिविधियों के लिये खेल का मैदान, छात्रावास भवन की सुविधा आदि आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायेंगे। इस हेतु संस्था से वचन पत्र लिया जाये।
- (5) संस्था व्दारा प्रदेश के खेल आयोजनों, सांस्कृतिक आयोजनों, विज्ञान मेलो आदि के आयोजन में सहयोग एवं सार्थक भूमिका प्रदान की जावेगी।
- (6) निःशक्त छात्रों के लिये संस्था को रेम्प की व्यवस्था करना आवश्यक होगा। संस्था निःशक्त छात्रों को प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगी। इस संबंध में प्राप्त शिकायत यदि सिद्ध पाई गई तो संस्था का अनापित प्रमाण पत्र समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

निरन्तर...2

X

(7) छात्र-छात्राओं को शालाओं में लगने वाली पुस्तके एवं लेखन सामग्री खुले बाजार से क्य करने की सुविधा रहेगी। किसी दुकान विशेष से क्य करने की बाध्यता नहीं रहेगी।

(8) संस्था के छात्रों को उनके निवास से विद्यालय तक लाने एवं वापिस भेजने के लिये परिवहन विभाग व्यास दी गई अनुमित प्राप्त एवं वैद्य वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा। छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से इस हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों को किसी भी ऐसे ज्वलनशील साधन जैसे घरेलू एल0पी0जी0 आदि से संचालित नहीं किया जायेगा।

(9) शिक्षण संस्था में मान 0 उच्चतम न्यायालय व्दारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कियाशील अम्बि-शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था की जाएगी तथा इस संबंध में भारत सरकार व्दारा शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों का पालन भी करना होगा।

(10) छात्रों की सुरक्षा तथा परिवहन के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग व परिवहन विभाग व्दारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करना होगा।

(11) संस्था के पुस्तकालय में जाति एवं धर्म के आधार पर भेद-भाव तथा साम्प्रदायिकंता को बढ़ावा देने वाली किन्हीं पुस्तकों का संग्रहण नहीं किया जायेगा और भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन व्यारा प्रतिबंधित पुस्तकों भी नहीं रखी जा सकेगी।

(12) संस्था के संचालन में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर विभाग व्दारा प्राधिकृत अधिकारी को संस्था का निरीक्षण/जांच करने का अधिकार होगा।

(13) विद्यालय प्रबंधन विद्यालय में प्रवेश के लिये बच्चों तथा माता-पिता अथवा अभिभावकों को किसी भी प्रकार की स्कीनिंग प्रकिया नहीं अपनारगा।

(14) संबंधित विद्यालय व्यारा तैयार शैक्षणिक/गैर-शैक्षणिक अमले की सेवा शर्ते जो कि राज्य शासन के समरूप होनी चाहिए के पालन न होने की स्थिति में संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण आवश्यक कार्यवाही हेतु सक्षम होंगे।

(15) सम्यक निरीक्षण के पश्चात एक वार मान्यता प्रदान कर दिये जाने पर सोसायटी/ट्रस्ट मान्यता के समय दावाकृत किन्ही भी मापदण्डों को परिवर्तित नहीं करेगा। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी किसी भी समय स्कूल परिसर का निरीक्षण कर सकते हैं, यदि निरीक्षण के समय यह पाया जाता है कि सोसायटी/ट्रस्ट किन्ही मापदण्डों का पालन नहीं कर रहा है तो संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण को मान्यता नियम, 2017 के नियम-11 के उप नियम-(1) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का......

X

अनुसरण करते हुए स्कूल की मान्यता निलंबित करने और पश्चातवर्ति इसे वृपिस लेने की शक्ति होगी।

2/ उपर्युक्तानुसार शर्तो का पालन न करने पर जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार, प्रिटीने (प्रमोद सिंह) (प्रमोद सिंह)

उप सचिव

म०प्र०शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ० कमांक-55 **न** /583/2021/20-3

भोपाल, दि० /9/2021 4/10/2/

- (1) विशेष सहायंक, मान० राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल।
- (2) आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र, म०प्र० भोपाल।
- (3) सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म०प्र० भोपाल।
- (4) संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग, म०प्र०।

(5) जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-भोपाल, म०प्र०।

- (6) प्राचार्य, अशासकीय संस्था-सेंट फान्सेंस को-एड स्कूल बरई, जिला-भोपाल, म०प्र०।
 - (7) फोल्डर प्रति, यनमार्थ पूर्व थानुसान कार्यवासी

सूबनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

म०प्र०शासन, स्कूल शिक्षा विभाग



CERTIFICATE



दिनांक: 10-02-2025

क्रमांक/ CERT10312/2026NOCR2610029

It is hereby certified that the Recognition of School ST. FRANCISCO EDSCHOOLBARRAHUZURBHOPALMP, situated at ST. FRANCISCO EDSCHOOLBARRAIBAGROD AROAD NEARKATARAHILLS, BHOPALMP, District BHOPALIN the state of MadhyaPradeshbearing UDISECodeNo. 23320213703s hereby extended, for the purpose of Affiliation with the for Renew till 2030-31 under the MPState Recognition Rule (मान्यता नियम) 2017on following terms and conditions -

- School should admit students only up to the level for which recognition is granted. If School is found violating rules then Department is viable to take any action, including Cancellation of Recognition of School.
- Latest Recognition Certificate of Schoolshould be displayed in School Notice Board and Principal Room.
- School Principal/Director and Teachers are not allowed to associate with any Political groups Also, school should not allow
 their students to participate in any political activities during school hours.
- School has to safely keep and maintain all accounts and records of students and staff, the same can be inspected by the departmental officials any time.
- 5. "Parent-Teacher Association" should be formed to ensure participation of parents of students studying in the school.
- The school should strive for making continuous efforts to get best academic quality criteria. During each three year period, all teachers should be trained at least once in their respective teaching subjects.
- 7. Onceapproved, after due inspection, the Society/Trust will not change any of the parameters claimed at the time of recognition. School Education Department officials can inspect school premises at any time. During inspection, if Society/Trust is found not following declared standards, then Divisional Joint Director can act as given in sub-rule (1) of rule 11 and can suspend school's accreditation.
- If School is not found to follow conditions and responsibilities given under Rule5 and 9 as well as instructions and guidance issued by Department from time to time, the undersigned will have the power to suspend the school's recognition on the basis of investigation.
- In case of any Explanation Call, if the reply received from Society/Trust is not found to be satisfactory, then after giving last hearing opportunity, the school's recognition can be canceled.
- Upon withdrawal of recognition, Security Fee deposited will be fully or partly, as specified in the order, will be seized.
- 11. It will be mandatory to get affiliation with the Central Board Secondary Education, and follow all norms as given in Affiliation Bye-Laws.
- 12. In case of any dispute, the jurisdiction of the Court shall be at Bhopal.
- 13. School should strictly follow Fee Regulation Act published by School Education Department, Govt. of MP—'मध्यप्रदेश निजी विदयालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियम) अधिनियम क्र. एफ-37-4-2017-20-3) published as on 26 June, 2018.

Signature valid

Digitally signed by Arvind Kumar Chourgade Date: 2025.02.10 16:03:28 IST Reason: Certificate Signing Location: BHOPAL

संभागीय संयुक्त संचालक,लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश